.../विधि

(5)

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

रीमी कुमारी
बनाम
सरकार

आदेश फलक तारीख............से...............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– **18/2021–22**

वाद का प्रकार :– म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)

अपीलार्थी रीमी कुमारी पिता–सत्येन्द्र सिंह ग्राम–लक्ष्मण नगर फसिया गुमला थाना–गुमला जिला–गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला के दाखिल–खारिज अपील वाद संख्या 14/2020–21 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में रेभेन्यू रिवीजन दाखिल किया गया है।

प्रश्नगत वाद से संबंधित निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होती हैः–

1. निम्न न्यायालय के द्वारा दिनांक–07.12.2020 के बाद कोई भी तिथि अभिलेख में निर्धारित नही की गई है।
2. निम्न न्यायालय के अभिलेख में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन संलग्न नही है।
3. प्रतिवादी/सरकार की पक्ष से कोई भी मंतव्य नही लिया गया है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त निम्न न्यायालय को निदेशित किया जाता है उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वाद निष्पादन हेतु Remand किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

26.04.22
उपायुक्त,
गुमला

26.04.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.10.13 16:28:23 +05:30
Location: 192.168.5.104

Scanned with OKEN Scanner